

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय जिला नगर नियोजन ईकाई, चित्तौड़गढ़

क्रमांक: जिननि/चित्तौड़/2019/68/1628

दिनांक: 16/5/19

आयुक्त
नगर परिषद,
चित्तौड़गढ़

सहायक नगर नियोजक
जिला नगर नियोजन ईकाई
चित्तौड़गढ़

विषय :- तकनीकी राय भिजाने बाबत।

संदर्भ :- नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक भूमि/2018-19/10160
दिनांक 13.02.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी श्रीमति शंकरी वाई पत्नि स्व. श्री रामलाल, श्री देवीलाल, श्रीमति सीता पिता श्री हीरालाल, श्री पुरण, श्री सुरज पिता स्व. श्री रामलाल वगैराह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सेगवा की आराजी नं. 502, 503 गीन, 514 मीन, 515, 516, 837/506 कुल रकबा 2.47 हैक्टेयर मे से 1.64 हैक्टेयर भूमि का ले-आउट प्लान में संशोधन चाहा गया है। आवेदित योजना का मौकें का निरीक्षण किया गया मौकें पर डिमार्केशन कर WBM सड़को का निर्माण कर लिया गया है। कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन अजमेर के पत्र क्रमांक एजेजेड/ 1631/ चित्तौड़गढ़/13/1047 दिनांक 01.04.2013 को अनुमोदित पत्र के वर्णित शर्तों को यथावत रखते हुए प्लान में संशोधन कर भिजवाया जा रहा है। संशोधित प्लान, राज्य सरकार द्वारा गठित ले-आउट प्लान कमेटी की बैठक में रखा जा कर निम्न लिखित शर्तों पर अनुमोदन किया जाना होगा

1. राजस्थान भवन विनियम 2017 के प्रावधान अनुसार सेटबैक रखने होंगे तथा प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से मानचित्र अनुमोदन करवाना होगा।
 2. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नवीनतम आदेशों/निर्देशों/नियनों/उपनियमों/ के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जायें।
- अन्य पूर्व अनुमोदित शर्तों की पालना की सुनिश्चित अपने स्तर पर किया जावें।

भवदीय

मनगोहन

(मनगोहन कुमावत)

सहायक नगर नियोजक

जिला नगर नियोजन ईकाई, चित्तौड़गढ़

For Choudhary Infraheight Pvt. Ltd.

Director



कार्यालय नगर परिषद चित्तौड़गढ़

क्रमांक : भूमि / 2019-20 / 2440

दिनांक :- 28-2-20

प्रबंधक
इंडियन बैंक
शास्त्रीनगर भीलवाड़ा

विषय :- राजस्व ग्राम सेगवा की आ.सं. 837/506 516, की योजना में ऋण स्वीकृती हेतु

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक **IN Bhilwara B084** : 132:2019-20
दिनांक 25.02.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व ग्राम सेगवा की आराजी नं. 837/506 एवं 516 की योजना में नगर परिषद द्वारा भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये हैं। भूखण्डों को आप द्वारा रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया जाता है तो नगर परिषद चित्तौड़गढ़ को आपत्ती नहीं है, परन्तु परिषद द्वारा आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण न होने के आधार पर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टों को योजना में विकास कार्य करवाये जाने के पेटे नगर परिषद द्वारा नियमन नहीं किये जाकर रोके गये हैं।

क्र.सं.	आराजी नं.	रोके गये भूखण्ड सं.	कुल साईज (वर्गफीट)
1	सेगवा आराजी नं. 837/506 516,	भूखण्ड संख्या 131, 132, 135, 136, 153, 154, 74, 84	कुल 6150.66 वर्गफीट

जब भी खातेदार द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विकास कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे परिषद द्वारा रोके गए 12.5 प्रतिशत भूखण्डों की नियमानुसार नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

3
आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़

REVIS (RAKB AT VIL SCALE PROPO OWNE

PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL



KHASRA PLAN

4411-1 178-75

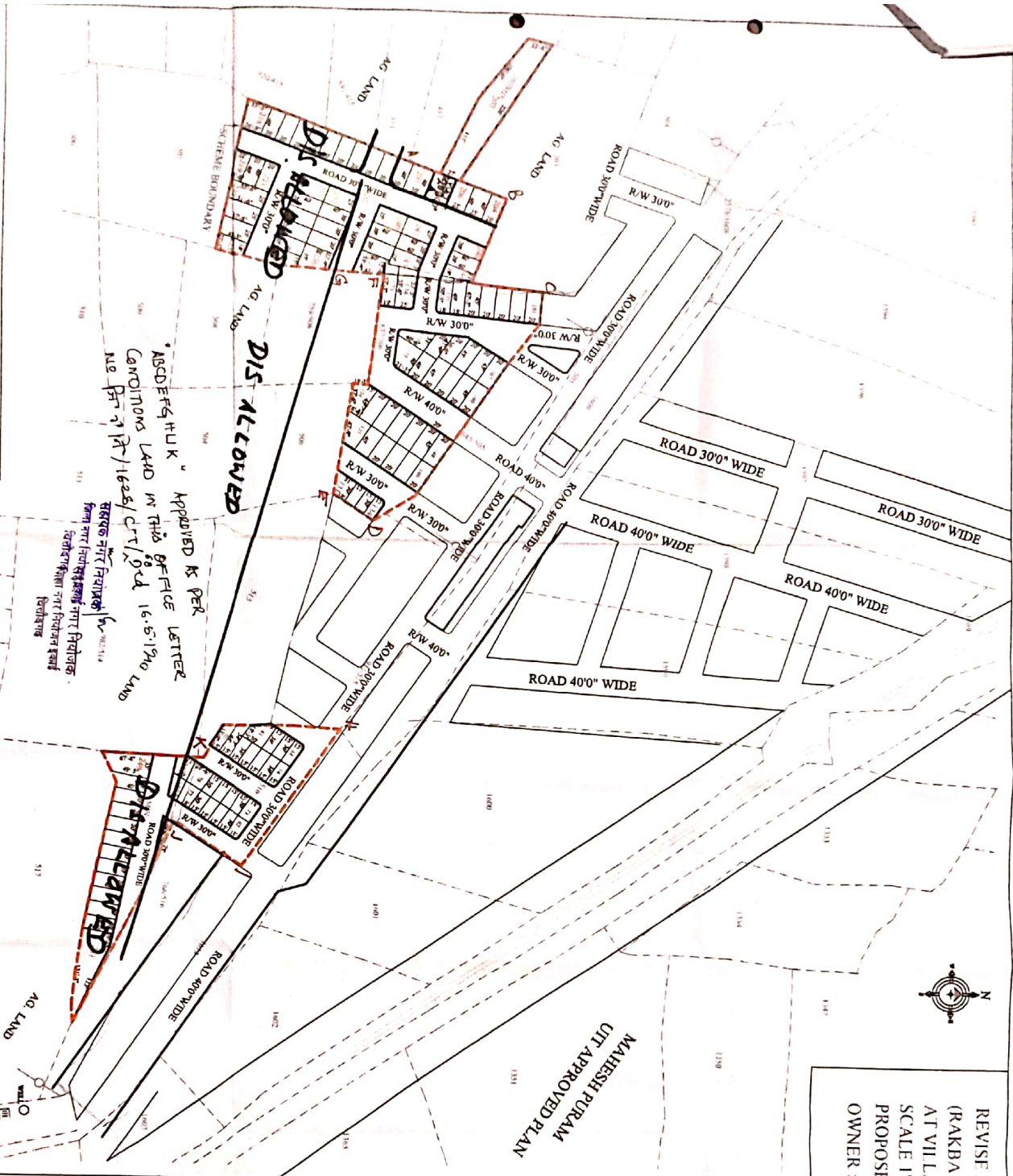
PREPARED BY
PRESIDENTIAL



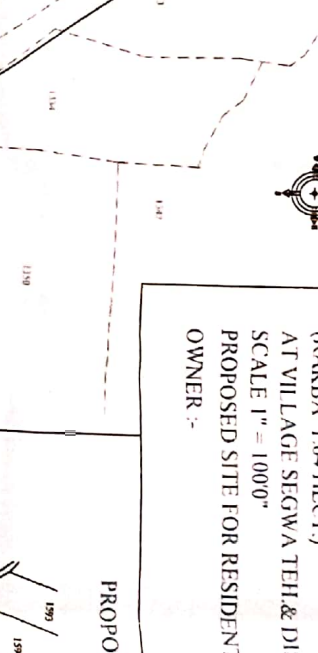
रुप पंजीयक चितौड़ाक

Natwar Lal Vijayvergia
CIVIL ENGINEER
UIT LICENCE NO-C-11
Bhilwara (M.) 9352115820

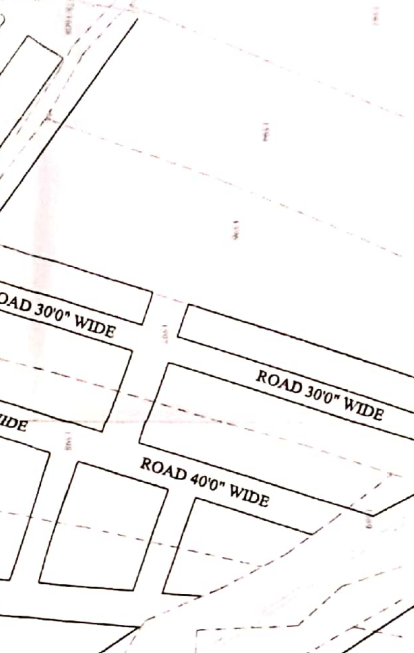
DETAILS OF LAND AREA (RAKBA 1.64 HECT. = 176527.96 SQFT)



503 MIN. 514 MIN. 837/506 516
ORGANIZATION)
0.07 0.25 0.48 0.24
FOR RESIDENTIAL



1131



—

3000